न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

उनवान बोदू बनाम राजीव

संख्या / वर्ष 10 -11/22 ..... / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/4/22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने जानकारी दी की इसी विवादग्रस्त भूमि से संबंधित विवाद बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आकाश बनाम संजीव सोंखिया (50/2021) इस न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन है। इन दोनों पत्रावलियों का अध्ययन कर पाया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बोदू बनाम राजीव (11/2022) व पूर्व में दर्ज पत्रावली आकाश बनाम संजीव सोंखिया (50/2021) पूर्ण रूप से समान है। दोनों में पक्षकार, विवादग्रस्त भूमि व चाहा अनुतोष पूर्ण रूप से समान है। अतः आकाश बनाम संजीव सोंखिया पूर्व में दर्ज होने से वादी की पत्रावली सेक्शन 10 "Res-subjudice" की श्रेणी में आती है, अतः चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा चाहा अनुतोष उसी वाद आकाश बनाम संजीव सोंखिया (50/2021) में प्रदान किया जायेगा। वादी पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 50/2021 उनवानी आकाश बनाम संजीव सोंखिया में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अतः न्यायालय इस पत्रावली को सेक्शन 10 सीपीसी 1908 में आने के कारण खारिज करता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/4/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested